सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति

5020. श्री ग्रास मोहम्मद:
श्री ईश दत्त यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक सिंचाई परियोजनाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति नहीं मिली है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च तक परियोजना-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन परियोजनाओं को नब्बे दिनों के भीतर स्वीकृति देने हेतु जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन चर्चाओं के क्या परिणाम निकले हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगैया नायडू) : (क) से (घ) 31-3-95 की स्थिति के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों के लिए लंबित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थिति
	(क) पर्यावरणीय स्वीकृति	
	आंध्र प्रदेश	
1.	श्री सेलम दायां तट नहर योजना	विशेषज्ञ समिति में चर्चा की गयी तथा मार्च, 1995 में फील्ड दौरे किए। अंतिम चर्चा 23-5-95 को होनी निर्धारित हुई है।
2.	श्री सेलम सागर परियोजना चरण-II	
	मध्य प्रदेश	
3.	मोगरा परियोजना	राज्य सरकार को पर्यावरणीय आंकड़े एवं योजना प्रस्तुत करनी है।
	राजस्थान	
4.	बिलासपुर परियोजना	मूल्यांकन समिति में अप्रैल, 1995 में चर्चा की गयी थी। स्थल के निरीक्षण का सुझाव दिया गया है।
	उत्तर प्रदेश	
5.	जमानिया पम्प नहर परियोजना	राज्य सरकार को अतिरिक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने हैं।

(ख) वन स्वीकृति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वन क्षेत्र	स्थिति
	मणिपुर	(हेक्टेयर)	
1.	लोक तक अनुप्रवाह बांध परियोजना	420.00	कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4
	पंजाब		
2.	थेन बांध परियोजना का निर्माण	742.00	कार्रवाई की जा रही है।
	मध्य प्रदेश		
3.	अपर वेन गंगा परियोजना	932.653	कार्रवाई की जा रही है।
	उड़ीसा		
4.	कोरापुट जिले में तेलेंगिरि परियोजना का निर्माण	240.37	कार्रवाई की जा रही है
5.	कोंकादाखर परियोजना	8.29	कार्रवाई की जा रही है ।
	महाराष्ट्र		
6.	रानीपुर में लघु सिंचाई परियोजना	40.92	कार्रवाई की जा रही है।
7.	मनुवेरी पर परकोलेशन टैंक	12.00	कार्रवाई की जा रही है।
8.	जाम्बेर लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण	78.00	कार्रवाई की जा रही है।
9.	मोरना गुरेश्वर लघु सिंचाई परियोजना	उपलब्ध नहीं	कार्रवाई की जा रही है।

सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

5021. **श्री राम जेठमलानी :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनुप्रयुक्त सिंचाई परियोजनाओं में लगभग 16,000 करोड़ रुपये की धन राशि का निवेश किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो दिसम्बर, 1994 के अन्त तक निर्माणाधीन अनुप्रयुक्त परियोजनाओं में कितनी धनराशि लगी हुई थी ;

(ग) इनमें से उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है जो छठी पंचवर्षीय योजना के समय से निर्माणाधीन हैं तथा उस समय इन परियोजनाओं में कितनी धनराशि का निवेश किया गया था ; और

(घ) इन निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं और देश के उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं, जहां ये परियोजनायें निर्माणाधीन हैं और इनमें से प्रत्येक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी-कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (घ) जहां तक केन्द्रीय सरकार को जानकारी है अनुप्रयुक्त सिंचाई परियोजनाओं में कोई निवेश नहीं किया गया है । पूर्ण होने पर सभी सिंचाई परियोजनायें कृषकों को लाभ प्रदान करती हैं । सिंचाई राज्यों का विषय है तथा सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, प्रतिपादन, क्रियान्वयन और वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है। केन्द्रीय सरकार एकमुश्त अनुदान और ऋण निर्मुक्त करती है जो किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़े नहीं होते हैं। परियोजनाओं के निर्माण के लिये आपसी प्राथमिकता राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है।